राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(38)(595)परि/नियम/मु./2019/1155 जयपुर, दिनाक : 08/01/2020

समस्त,
प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,
———————————————— |

विषयः— पेट्रोल चलित वाहनों जो वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे हैं, में CNG Kit के पुनः फिटमेन्ट, की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्तमान में चल रहे चौपहिया वाहन एंव तिपहिया वाहन में "मैसर्स **A.G. Enterprises**. को पुनः फिटमेन्ट किये जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ उक्त CNG Kit के निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115B (I) A. (II) CNG for In-use Gasoline Vehicles (as amended by GSR 84(E) & GSR 1151(E)), 115(2)(i) for Idling CO & NMHC and 115(14) F for Bharat- Stage III के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये है। उक्त CNG Kit को लगाने के लिए निम्नलिखित वाहन/मॉड़ल हेतु फर्म द्वारा ले—ऑउट (Layout) प्लान केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत वर्णित टैस्ट ऐजेन्सी से प्राप्त कर लिये हैं।

"In-USE" Base Model	Type & Category	Seating Capacity(incl driver)	GVW(Kg)	Power	Capacity (cm^3)
BAJAJ RE 4 STROKE	L5M (3 Wheeler) & 4 Stroke	4	678	8.1kw@ 5000 rpm	198

1. इन वाहनों में उक्त CNG Kit लगाने के समय मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989, एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

2. उक्त वाहन मॉड़ल में CNG Kit लगाने की अनुमति टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट (Type Approval Test Certificate) के साथ सलंग्न (Annexure) में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जाती है। इन शर्तों का सख्ती से पालना की जावें।

3. वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में CNG Kit का पुनः Fitment, Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्याशालाओं में ही किया जावेगा। इस प्रायोजनार्थ Kit विनिर्माता/ Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता CNG Kit लगाने वाले प्राधिकर्ता (Installer) को एक Authorisation सर्टीफिकेट जारी करेगें। उक्त प्राधिकर्ताओं (Installer) की सूची सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय को दी जावेगी।

4. केवल इन्हीं अधिकृत वर्कशॉप मे किये गये CNG Kit के पुनः Fitment,को मान्यता दी जाकर पंजीयन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में वाहन के पंजीयन पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टी/परिवर्तन किये जा सकेगें। पंजीयन पुस्तिका में प्रविष्ठि के समय पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि CNG Kit के सिलेण्ड़र (Gas cylinder) नम्बर का अंकन वाहन की पंजीयन पुस्तिका, पंजीयन रिकॉर्ड एवं परिवहन वाहन के केस में इसके अतिरिक्त फिटनेस प्रमाण पत्र में भी प्रविष्ठि का अंकन किया जावें।

5. वाहन स्वामी को अपने वाहन में CNG Kit पुनः Fitment, लगाने से पूर्व सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से उक्त परिवर्तन की अनुमति मोटर वाहन अधिनियम 1988, की धारा 52 के तहत प्राप्त करनी होगी। CNG Kit पुनः Fitment कर्ता (Installer) Kit लगााने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त परिवर्तन की अनुमति सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है तथा उक्त परिवर्तन का इन्द्राज वाहन पंजीयन पुस्तिका में वाहन स्वामी को प्राप्त अनुमति के 14 दिवस के अन्दर–अन्दर करवाना होगा।

6. वाहन का टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट मूल टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से तीन वर्ष अथवा नियमों में परिवर्तन जो भी पहले हो तक के लिए ही वैध है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

8/1/2020

(विनोद कुमार)
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांक प.7(38)(595)परि/नियम/मु./2019/1156-58 जयपुर, दिनाक : 08/01/2020

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. M/S. A G Enterprises , B1, Gala No 2, Pritesh Complex, Anjur Phata Dapoda Road,Bhiwandi, Dist Thane-421302, Maharashtra को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट (प्रोटोटाईप) पर अपलोड करने हेतु।
3. तकनीकी निदेशक, N.I.C.,परिवहन मुख्यालय ।

-sd-
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)